भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2689
दिनांक 06 मार्च, 2020 को उत्तर के लिए

कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर

2689. श्री पंकज चौधरी:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने किशोर अपराध को रोकने हेतु कोई योजना तैयार किया है या तैयार करना प्रस्तावित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों द्वारा किए जा रहे अपराधों की गंभीरता को देखते हुए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की समीक्षा करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या सरकार ने कानून का उल्लंघन करने वाले किशोरों की देखभाल और संरक्षण का दायित्व किशोर न्याय समिति के बजाए महिला और बाल विकास मंत्रालय को सौंपना प्रस्तावित किया है?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (ग) : महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 को लागू किया है जो देश में बच्चों के लिए एक प्रमुख कानून है। कानून, संकट में रहने वाले बच्चों की व्यापक कुशलता सुनिश्चित करने के लिए संस्थानिक और गैर संस्थानिक देखरेख सहित सेवा प्रदायगी संरचना का एक सुरक्षा नेट प्रदान करता है। किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 2(13) के अनुसार 'कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे (सीसीएल)' से तात्पर्य उस बच्चे से है जो कथित रूप से या कोई अपराध करने का आरोपी पाया गया है और ऐसे अपराध होने की तारीख को उसकी उम्र 18 साल पूरी नहीं हुई है। जेजे अधिनियम की धारा 8(3) (छ) के अनुसार कानून का उल्लंघन करने वाले आरोपी बच्चे से संबंधित मामले का समिति को हस्तांतरण करना, किसी भी अवस्था में देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता बताई गई है, इसलिए इसकी मान्यता देना कि कानून का उल्लंघन का आरोपी बच्चा साथ ही साथ देखरेख की आवश्यकता वाला बच्चा है और समिति और बोर्ड दोनों को शामिल किया जाना आवश्यक है, बोर्ड की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों के रूप में शामिल होगा। अधिनियम की धारा 53 यह निर्धारित करती है कि बच्चे को विभिन्न पुनर्वास और पुनर्समावेशन सेवाएं संस्थान में ही प्रदान की जाएगी। जेजे अधिनियम की धारा 3(vii) के अनुसार कानून के तहत बच्चे की संवेदनशीलता/भेद्यता को कम करने और हस्तक्षेप की आवश्यकता के लिए

कुशलता/कल्याण को बढ़ावा देने, पहचान के विकास को सुगम बनाने और समावेशी समर्थकारी माहौल प्रदान करने के लिए पारिवारिक और सामुदायिक रूप से उपलब्ध संसाधन सहित सभी संसाधान जुटाए जाएंगे। कानून को निष्पादित करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की है।

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 का निरसन किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के द्वारा हो गया था जो 15.01.2016 से प्रभावी है। जेजे अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताओं में बच्चों द्वारा किए गए अपराधों को छोटे-मोटे, गंभीर और जघन्य अपराधों में वर्गीकरण करना और 16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों द्वारा जघन्य अपराध करने से रोकने के अवरोधक के रूप में काम करने के लिए विशेष प्रावधान शामिल हैं।

जेजे अधिनियम की धारा 4(1) में यह प्रावधान किया गया है कि बच्चों द्वारा कानून का उल्लंघन करने से संबंधित कार्यों और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक या एक से अधिक जेजेबी का गठन करेगी।

******